


26.08.23 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी एवं प्रेसीकार
राज डी।।। बहस पर मन्न किया गया।
पत्रावली का अक्लोकन किया गया। प्रार्थी
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य
ना होने के कारण अस्वीकार किया जा रहा है।
निर्णय पृष्ठक से लिखवाया जाकर संलग्न
किया गया। पत्रावली बाद तारीख तकमीन
होकर सादिक हफ्त है।

निर्णय के बाद खुले न्यायालय में
लिखवाया जाकर सुनाया गया।


(अमिता बिशनोई)
RoAol